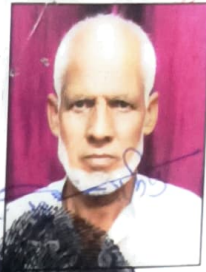
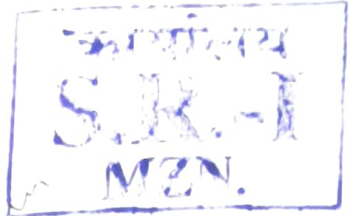


1039

650
6-X-23

12557

484
2023

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक सदर

- 1 सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि
- 2 वार्ड/परगना : मुजफ्फरनगर
- 3 मौहल्ला/ग्राम/सेगमेन्ट : ग्राम सुजडू
- 4 क्षेत्र-ग्रामीण/नगरीय/अर्द्धनगरीय: अर्द्धनगरीय क्षेत्र
- 5 सम्पत्ति का विवरण :
(आवासीय प्लॉट/व्यवसायिक/
गोदाम/कृषि) : कृषि भूमि
- 6 सम्पत्ति का क्षेत्रफल (भूमि) (वर्गमीटर/हैक्टेयर): 0.0680 हैक्टेयर
- 7 सम्पत्ति की स्थिति(लिंक/जनपदीय/राज्य
/राष्ट्रीय मार्ग/सेगमेन्ट) का नाम : आबादी के निकट स्थित है।
- 8 कार्नर/दो/एक रास्ते का नाम : नही
- 9 निकटतम नामित मार्ग का नाम व दूरी: नही
- 10 (क) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल भूतल नही
(ख) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल प्रथम तल नही
(ग) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल द्वितीय तल नही

उप निबन्धक



M/s Vedanta Infra Build

Auth. Sign.





INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP96549286345366V

e-Stamp



Certificate No.

: IN-UP96549286345366V

Certificate Issued Date

: 24-Aug-2023 03:24 PM

Account Reference

: NEWIMPACC (SV)/ up14177604/ MUZAFFARNAGAR SADARI/ UP-MJF

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUP1417760488575969382928V

Purchased by

: MS VEDANTA INFRA BUILD BY RITU RANA

Description of Document

: Article 23 Conveyance

Property Description

: AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILLAGE SUJRU MZN

Consideration Price (Rs.)

:

First Party

: HAMID SO MOHD UMAR

Second Party

: MS VEDANTA INFRA BUILD BY RITU RANA

Stamp Duty Paid By

: MS VEDANTA INFRA BUILD BY RITU RANA

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 1,94,000
(One Lakh Ninety Four Thousand only)E-STAMP
LOCKED BY.....

Please write or type below this line

M/s Vedanta Infra Build

M/s Vedanta Infra Build

Sign.



IRID

0007389190

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
 Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
 2. It is the responsibility of the user of the certificate
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

11. निर्माण का प्रकार/श्रेणी
12. पेडो का मूल्यांकन
13. बोरिंग व अन्य
14. निर्माण का वर्ष
15. प्रतिफल/बाजारी मूल्य/मालियत

नहीं
नहीं
नहीं
नहीं

बैनामा:- 40,80,000/-रुपये

मालियत:- 40,80,000/-रुपये

16. दिया गया स्टाम्प शुल्क

:- 2,85,600/-रुपये जिसमे से

मुबलिग 81,600/- रुपये का स्टाम्प शुल्क इस सम्पत्ति के पूर्व में द्वितीय पक्ष के हक में हुये प्रतिज्ञा पत्र विक्रय दिनांक 22-10-2022 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 13300 के पृष्ठ 241/250 में क्रमांक 16736 पर दिनांक 22-10-2022 को कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम में हुई है, दिया हुआ है मे से मुबलिग 81,500/- रुपये का स्टाम्प शुल्क समायोजित करते हुये शेष स्टाम्प शुल्क 2,04,500/- रुपये इस प्रलेख पर दिया है।

17. स्टाम्प देयता की गणना हेतु प्रयुक्त दर:- सामान्य निर्देश 20 के अनुसार प्रथम 0.0500 हैक्टेयर यानि 500 मीटर पर अकृषिक भूमि के सरकार द्वारा निर्धारित रेट 6,000/-रुपये प्रति वर्गमीटर व द्वितीय 0.0180 हैक्टेयर यानि 180 मीटर पर अकृषिक भूमि के सरकार द्वारा निर्धारित रेट 6,000/-रुपये प्रति वर्गमीटर का 1/2 भाग यानि 3,000/-रुपये प्रति वर्गमीटर

अनिल एल्लह



M/s Vedanta Infra Project

[Signature]



18. रेट लिस्ट का कोड संख्या, प्रारूप
पृष्ठ, क्रमांक:- 0158, 4क, 58
19. चौहद्दी/सीमांकन:- नहीं
20. प्रथम पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०:- 1 मो०न०
21. द्वितीय पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०:- 1 मो०न०
22. सम्पत्ति तक पहुंचने का रूट चार्ट
संलग्न है अथवा नहीं : हाँ
23. लेखपत्र के साथ संलग्नक आवश्यक
प्रपत्रों/साक्ष्यों का विवरण : फोटो आई.डी. प्रथम पक्ष व द्वितीय
पक्ष व नकल खसरा व नकल
खतौनी व प्रपत्र संलग्न है।

हम कि हामिद (PAN-BAYPH4711G) पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी ग्राम सुजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व मैसर्स वेदान्ता इन्फ्राबिल्ड (PAN-AARFV0338B) द्वारा पार्टनर श्रीमति रीतू राणा पत्नी श्री सचिन राणा निवासी 12, वसुन्धरा रेजीडेन्सी शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) के हैं और विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है। विक्रीत भूमि आबादी के निकट स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति चर्च मिशनरी व वफ़/ट्रस्ट की नहीं है। दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं, प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति या जन जाति से नहीं है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष की है, और राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है, जो प्रथम पक्ष के कब्जे अधिकार में है और कोई भागीदार उसमें नहीं है और जो इस समय तक हर प्रकार के भार, बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एवं मुक्त है। किसी भी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान में बंधक नहीं है और न ही किसी जमानत में दी हुई है और जिसके बारे में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त हैं। प्रथम पक्ष अपनी निम्नलिखित भूमि को माकूल कीमत में द्वितीय पक्ष को विक्रय कर रहा है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सम्पत्ति निम्नलिखित को

हमिद



M/s Vedanta Infra Build

Sign



मौके पर देख लिया है और समझ लिया है और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारों के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है और द्वितीय पक्ष आज उसका बैनामा करा रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से बाजारी मूल्य पर बिल एवज मुबलिग चालिस लाख अस्सी हजार 40,80,000/- रुपये कि आधे जिसके मुबलिग बीस लाख चालिस हजार 20,40,000/-रुपये होते हैं बदस्त मैसर्स वेदान्ता इन्फ्राबिल्ड द्वारा पार्टनर श्रीमति रीतू राणा पत्नी श्री सचिन राणा निवासी 12, वसुन्धरा रेजीडेन्सी शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को विक्रय कर दी और बेच दी है, और समस्त विक्रय मूल्य मुबलिग 40,80,000/- रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से इस प्रकार कि मुबलिग 10,00,000/-रुपये पेश्तर द्वारा प्रतिज्ञा पत्र विक्रय दिनांक 22-10-2022 ई0 प्राप्त किये हुये हैं, व अंकन 10,80,000/-रुपये द्वारा चैक नम्बर 000203 व अंकन 20,00,000/-रुपये द्वारा चैक नम्बर 000202 हर दो ICICI बैंक जानसठ रोड कम्बल वाला बाग मुजफ्फरनगर प्राप्त किये हैं। कुछ बाकी नहीं रहा है और विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना कब्जा व दखल उठाकर, दखल व कब्जा द्वितीय पक्ष का बहालत मौजूदा मौके पर मिस्त अपने करा दिया है और उसे उसका पूर्ण मालिक व अधिकारी बना दिया है। आज से प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता व ताल्लुक विक्रीत सम्पत्ति व उसके विक्रय धन से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। अब यदि विक्रीत सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश प्रथम पक्ष के किसी सहीम व शरीक की दावेदारी से या प्रथम पक्ष के किसी फेल या तर्क फेल के कारण या किसी कानूनी नुक्स के कारण या किसी अन्य कारण से जो कि प्रथम पक्ष की ओर

मौके पर देख लिया है और समझ लिया है और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारों के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है और द्वितीय पक्ष आज उसका बैनामा करा रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से बाजारी मूल्य पर बिल एवज मुबलिग चालिस लाख अस्सी हजार 40,80,000/- रुपये कि आधे जिसके मुबलिग बीस लाख चालिस हजार 20,40,000/-रुपये होते हैं बदस्त मैसर्स वेदान्ता इन्फ्राबिल्ड द्वारा पार्टनर श्रीमति रीतू राणा पत्नी श्री सचिन राणा निवासी 12, वसुन्धरा रेजीडेन्सी शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को विक्रय कर दी और बेच दी है, और समस्त विक्रय मूल्य मुबलिग 40,80,000/- रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से इस प्रकार कि मुबलिग 10,00,000/-रुपये पेश्तर द्वारा प्रतिज्ञा पत्र विक्रय दिनांक 22-10-2022 ई0 प्राप्त किये हुये हैं, व अंकन 10,80,000/-रुपये द्वारा चैक नम्बर 000203 व अंकन 20,00,000/-रुपये द्वारा चैक नम्बर 000202 हर दो ICICI बैंक जानसठ रोड कम्बल वाला बाग मुजफ्फरनगर प्राप्त किये हैं। कुछ बाकी नहीं रहा है और विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना कब्जा व दखल उठाकर, दखल व कब्जा द्वितीय पक्ष का बहालत मौजूदा मौके पर मिस्त अपने करा दिया है और उसे उसका पूर्ण मालिक व अधिकारी बना दिया है। आज से प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता व ताल्लुक विक्रीत सम्पत्ति व उसके विक्रय धन से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। अब यदि विक्रीत सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश प्रथम पक्ष के किसी सहीम व शरीक की दावेदारी से या प्रथम पक्ष के किसी फेल या तर्क फेल के कारण या किसी कानूनी नुक्स के कारण या किसी अन्य कारण से जो कि प्रथम पक्ष की ओर



Mrs Vedanta Infra Build

 Sign.


से अमल में आवे कब्जे द्वितीय पक्ष में कोई बाधा पड़े उस पर अधिकार न मिले, कब्जे में न आवे, कब्जे से निकल जावे तो ऐसी समस्त दशाओं में प्रथम पक्ष की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा हासिल कर ले या कुल या जुज जरे मूल्य जैसी भी उस समय दशा हो मय सूद जाब्ता, मय हर्जा व खर्चा के प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे। इसमें प्रथम पक्ष या उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। यदि भविष्य में विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया पाया जाता है, तो उसके अदा व बेबाक करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। जिसे प्रथम पक्ष अपनी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से अदा व बेबाक करने के पाबन्द होंगे। विक्रीत भूमि में कोई नलकूप नहीं है, सिचाई अन्य काश्तकार के नलकूप द्वारा की जाती है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान सालाना के अनुसार मुबलिंग 6,350/-रुपये है, हम दोनों पक्षों का सौदा बाजारी मूल्य पर मुबलिंग 40,80,000/- रुपये में द्वारा प्रतिज्ञा पत्र विक्रय उक्त किया हुआ है, यह ही इसका बाजारी मूल्य है, विक्रीत भूमि आबादी के निकट स्थित है, इसलिए द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क भविष्य के किसी भी स्टाम्प सम्बन्धी विवादों से बचने के लिये आबादी के निर्धारित रेट 6,000/-रुपये प्रति वर्गमीटर से बैठती मालियत मुबलिंग 40,80,000/-रुपये पर अदा किया है। अस्तु यह बैनामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

अ. वि. ए. ११५



M/s Vedanta Infra Servs


Auth. Sign.



विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम सुजई परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1425 ता 1430 फसली के खाता संख्या 1355 के नम्बर खसरा 2290ग/0.1360 हैक्टेयर लगान सालाना 6.66-रूपये का हक व हिस्सा कुल प्रथम पक्ष यानि 1/2 भाग विक्रीत भागानुसार विक्रीत क्षेत्र 0.0680 हैक्टेयर। (यूनिक आई0डी0कोड 1109532290200212) मय जुमला हकूक हर किरम। घोषणा/प्रमाणक:- हम उभय पक्ष क्रेता एवं विक्रेता इस लेखपत्र के गवाह शपथ पूर्वक घोषित करते हैं कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्णरूपेन अनुपालन किया गया है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। निष्पादनकर्ता ने विक्रेता व क्रेता के बताये अनुसार दस्तावेज निष्पादित की है।

आर.के. झा


www.vedanta.in

Dr. Ramesh


साक्षी1- N/ku/16
योगेन्द्र कुमार
तहसील मुजफ्फरनगर
बिहार

साक्षी2- Dr. Ramesh
तहसील मुजफ्फरनगर
बिहार

दिनांक :- 24-08-2023 ई0

ड्राफ्टकर्ता:- योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर।

Dr. Ramesh

आवेदन सं०: 202300708029623

विक्रय पत्र

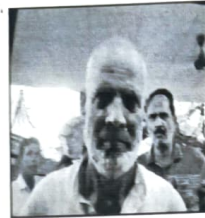
बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 12557

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 4080000 स्टाम्प शुल्क- 204500 बाजारी मूल्य - 4080000 पंजीकरण शुल्क - 40800 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 40860

श्री हामिद
पुत्र श्री मोहम्मद उमर
व्यवसाय: अन्य
निवासी: ग्राम सूजड़ मु०नगर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/08/2023 एवं 12:01:45 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुजफ्फरनगर
25/08/2023

श्वेता सोनी लिपिक
निबंधक लिपिक
25/08/2023



आवेदन सं०: 202300708029623

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 12557

वर्ष: 2023

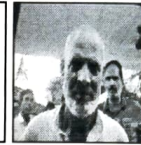
निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री हमिद, पुत्र श्री मोहम्मद उमर

निवासी: ग्राम सूजड़ मु०नगर

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री मेसर्स वेमना इन्फ्राबिल्ड द्वारा श्रीमति रीतू राणा के द्वारा रितिक राणा,
श्री श्रीरविन्द राणा

निवासी: 12 वसुन्धरा रजिडेन्सी मु०नगर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री नरेश कुमार गुप्ता, दस्तावेज लेखक

निवासी: तहसील सदर मु०नगर

व्यवसाय: दस्तावेज लेखक

पहचानकर्ता: 2



श्री गोपाल सिंह, दस्तावेज लेखक

निवासी: तहसील सदर मु०नगर

व्यवसाय: दस्तावेज लेखक



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल सिंह प्रभारी

उप निबंधक : सदर प्रथम

मुजफ्फरनगर

25/08/2023

श्वेता सोनी लिपिक

निबंधक लिपिक मुजफ्फरनगर

25/08/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी: विक्रेता/विक्रेतागण ने अपने ब्यान में विलेख में वर्णित प्रतिफल
की धनराशि के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान की व विलेख का
रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह किया। अतः रजिस्ट्रेशन मैनुअल नियम 24।
के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया।

प्रिंट करें



1425 + 143060
10000, 1355
(106/41
6X23)

आवेदन सं०: 202300708029623

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13843 के पृष्ठ 179 से 196 तक क्रमांक 12557 पर दिनांक 25/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

अनुबन्ध पत्र विलेख सं० 16736/2023 पद अदा
रु. 8/8200/1 का स्टाम्प शुल्क का केनामे के
साथसा 14/08/2023 को जमा की अनुसूचि-1
(ख) - अनुसूचि-1 के अधीन
अधिनियम की धारा-16 में प्राप्ति शक्तिबों
के अध्यक्षीय समायोजित किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुजफ्फरनगर
25/08/2023

25/8/23

